कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

सत्र 2022–23 में भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, द्वारा आयोजित एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग पाठ्यक्रम में निम्नांकित शारीरिक शिक्षकों को उनके नाम के आगे अंकित खेलों में एवं प्रशिक्षण स्थलों पर नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण वेतन पर करने की विभागीय अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

इनके सम्पूर्ण प्रशिक्षण काल को ड्यूटी पर माना जावेगा। इन्हें राजस्थान शिक्षा विभाग के अधीन 5 वर्ष तक सेवा करने का अनुबंध पत्र/बॉण्ड भरना होगा। प्रशिक्षण के उपरान्त 5 वर्ष तक राज्य सेवा न करने की स्थिति में इन्हें प्रशिक्षण अवधि का सम्पूर्ण व्यय मय ब्याज विभाग को जमा कराना होगा। उक्त अनुबंध भरने के पश्चात ही सम्बंधित संस्था प्रधान द्वारा इनके प्रशिक्षण अवधि के वेतन का भुगतान प्रतिमाह किया जावे। इनके स्थान पर अन्य किसी की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन नहीं किया जावे :–

क्र.स.	कार्मिक का नाम, पद एवं पदस्थापन स्थान	खेल का नाम	प्रशिक्षण संस्थान/स्थान
1	श्रीमती बिन्दू आचार्य शा.शि.तृतीय श्रेणी, राउमावि खारवाली	खो–खो	भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, बेंगलूरू,
2	श्रीमती सूची सरदाना शा.शि. तृतीय श्रेणी राबाउमावि उदयरामसर	फुटबाल	भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, कोलकता
3.	श्री लाल चंद व. शा.शि. मागाराावि, भैंसरोडगढ, चित्तौडगढ	वेटलिफ्टिंग	भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला, पंजाब
4.	श्री रामराज सिंह व. शा.शि. मागारावि, चंदलाई चाकसू, जयपुर	फुटबाल	भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, कोलकता,
5.	श्री जितेन्द्र कुमार व. शा.शि. तृतीय श्रेणी मागारावि दुल्लापुर केरी, श्रीगंगानगर	हेण्डबॉल	भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला, पंजाब
6.	श्री सुभाष महला व.शा.शि. राउमावि मगने की ढाणी, बाड़मेर	खो–खो	भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, बेंगलूरू

उक्त कार्मिकों को अपने मुख्यालय से प्रशिक्षण स्थल तक का उभयपक्षीय यात्रा भत्ता भी नियमानुसार देय होगा। कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत अनुबंध पत्र की प्रमाणित छायाप्रति एवं प्रशिक्षण अवधि के प्रतिमाह वेतन का भुगतान किये जाने की सुनिश्चितता कर उसकी सूचना इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे। उक्त कार्मिक प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रदत डिप्लोमा की प्रविष्टि शाला दर्पण पर करते हुए छायाप्रति इस अनुभाग को अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/खेलकूद–3/35049/एन.आई.एस./2022–23/ दिनांकः 24/01/2023

प्रतिलिपि निम्नांकितों का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय–माध्यमिक।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान/सम्बन्धित कार्मिक।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
5. रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर